न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना–पत्र संख्याः 17/2025 दायर दिनांकः 20.05.2025
GCMS NO:- 2025/115 पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती प्रीति मीणा

1. सुन्दरलाल आ0 गुलाबचन्द जाति महाजन नि0 दुगारी तहसील नैनवॉ। **(मृतक)**।
 1/1 जिनेन्द्र कुमार आ. सुन्दरलाल जाति महाजन नि0 दुगारी तहसील नैनवॉ।
 1/2 दिनेश कुमार आ0 सुन्दरलाल जाति महाजन नि0 दुगारी तहसील नैनवॉ।
 1/3 विनोद कुमार आ0 सुन्दरलाल जाति महाजन नि0 दुगारी तहसील नैनवॉ।
 1/4 राजेश बाई पुत्री सुन्दरलाल जाति महाजन नि0 दुगारी हाल राजपूत कॉलोनी नैनवॉ रोड बून्दी।
 1/5 बदाम बाई पत्नी सुन्दरलाल जाति महाजन नि0 दुगारी तहसील नैनवॉ।

–प्रार्थीगण

बनाम

1. भूस्वामी जर्ये तहसीलदार साहब, नैनवॉ जिला बून्दी।
2. राजस्थान राज्य जर्ये जिला कलक्टर महोदय, बून्दी।
3. गीलानाथ पुत्र गोपाल नाथ नि0 दौलतपुरा तहसील नैनवॉ। **(अपीलाण्ट)**

–अप्रार्थीगण –

प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 251ए आर.टी एक्ट

उपस्थिति–

प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री हरिनारायण स्वामी।

निर्णय दिनांक 31.07.2025

निर्णय

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम दुगारी तहसील नैनवॉ मे भूमि खसरा नम्बर 4835/703 रकबा 0.9708 हैक्टयर भूमि स्थित है जो प्रार्थी सुन्दरलाल के खाते मे दर्ज थी। उक्त भूमि पर जाने के लिए अर्वाचीन रास्ता ग्राम दौलतपुरा से रघुनाथपुरा लिंक रोड मे जाने वाले रास्ते से फटकर पश्चिमी ओर चलकर भूमि खसरा नम्बर 4835/703 पर पहुंचता है। उक्त पत्रावली मे नियमित सुनवाई की जाकर दिनांक 22.12.2023 को निर्णय पारित कर प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 4835/703 मे पहुंचने के लिए तहसीलदार नैनवॉ से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार खसरा नम्बर 5069/703 मे से रास्ता देने बाबत् आदेश पारित किया गया।

यह कि इस न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 22.12.2023 के विरूद्व गीलानाथ पुत्र गोपाल नाथ नि0 दौलतपुरा द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय, कोटा के यहां अपील संख्या 2024/113 पेश की जिसमे माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 14.10.2024 को निर्णय पारित किया जाकर उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए नवीन निर्णय पारित करने हेतु निर्देशित किया गया।

यह कि माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय, कोटा के उक्त निर्णय दिनांक 14.10.2024 की पालना मे पत्रावली पुनः दर्ज रजिस्टर की जाकर उभयपक्षकारान को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री हरिनारायण स्वामी द्वारा वकालातनामा पेश किया गया तथा अप्रार्थी संख्या 3 (अपीलाण्ट) बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गयी। अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार नैनवॉ की रिपोर्ट भी प्राप्त हो चुकी है।

बहस एकपक्षीय सुनी गयी। प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया कि प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 4835/703 पर जाने के लिए माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 22.12.2023 को निर्णय पारित कर खसरा नम्बर 5069/703 जो कि राजस्व रिकॉर्ड मे सिवायचक भूमि दर्ज थी, मे से रास्ता दिया गया था लेकिन उक्त निर्णय के विरूद्व अप्रार्थी संख्या 3 गीलानाथ द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय, कोटा के यहां अपीलाण्ट को अपना पक्ष नही रखना तथा जिस सिवायचक भूमि मे से रास्ता दिया है, वह चारागाह भूमि होना बताया जाकर झूठी अपील पेश की। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा कथन किया कि उक्त प्रकरण मे माननीय न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को

जरिये नोटिस भी तलब किया गया था लेकिन बावजूद सूचना के भी अपीलाण्ट उपस्थित नही हुआ तथा तहसीलदार साहब नैनवॉ की रिपोर्ट भी माननीय न्यायालय को प्राप्त हो चुकी है जिसमे तहसीलदार साहब नैनवॉ द्वारा बताया गया है कि खसरा नम्बर 5069/703 जिसके मूल खसरा नम्बर 703 है, जो मिसल बन्दोबस्त मे खाता संख्या 775 सिवायचक बिला लगानी मे स्थित है जिसकी किस्म गै0मु0 बरडा है। मिसल बन्दोबस्त मे झाड झंखाड वाले वन (चारागाह हेतु) दर्ज नही है। जिससे इस न्यायालय द्वारा पूर्व मे दिनांक 22.12.2023 को जो निर्णय पारित किया गया था, को यथावत रखा जावे।

हमने प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा की गयी एकपक्षीय बहस पर मनन किया। पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों तथा तहसीलदार नैनवॉ की रिपोर्ट का अद्योपान्त अवलोकन किया तथा पाया कि अपीलाण्ट बावजूद सूचना के भी अनुपस्थित रहा है तथा अपीलाण्ट द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय, कोटा के यहां सिवायचक भूमि को चारागाह भूमि बताकर अपील की गयी थी, की जांच तहसीलदार नैनवॉ द्वारा करवायी गयी तथा तहसीलदार नैनवॉ द्वारा दिनांक 09.07.2025 द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मे "खसरा नम्बर 5069/703 जिसके मूल खसरा नम्बर 703 है, जो मिसल बन्दोबस्त मे खाता संख्या 775 सिवायचक बिला लगानी मे स्थित है जिसकी किस्म गै0मु0 बरडा है। मिसल बन्दोबस्त मे झाड झंखाड वाले वन (चारागाह हेतु) दर्ज नही" होना बताया। जिससे यह साबित होता है कि इस न्यायालय द्वारा दिनांक 22.12.2023 को पारित किये गए निर्णय मे किसी भी प्रकार की त्रुटी नही की गयी अतः इस न्यायालय द्वारा पूर्व मे किये गए निर्णय दिनांक 22.12.2023 को यथावत रखा जाता है। तहसीलदार नैनवॉ को आदेशित किया जाता है कि यदि पूर्व मे पारित इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 22.12.2023 की पालना मे रास्ता दर्ज नही किया गया हो तो नियमानुसार प्रार्थीगण द्वारा राशि जमा करवाये जाने के पश्चात रास्ता दर्ज कर रिपोर्ट पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 31.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड़ अधिकारी
नैंनवा

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी नैनवां जिला बून्दी (राज0)

क्रमांकः— रीडर / 2025 / 502

दिनांकः— 4.8.25

प्रेषितिः—

तहसीलदार
नैनवां।

विषयः— प्रकरण संख्या 17/2025 बउनवान सुन्दरलाल

बनाम भू.व्य.अ. आदि मे पारित निर्णय की पालना रिपोर्ट पेश करने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस न्यायालय के उक्त प्रकरण मे पारित निर्णय दिनांक 31/7/2025 की प्रति संलग्न कर लेख है कि आप संलग्न निर्णय की पालना कर रिपोर्ट पेश करें।

संलग्नः— उपर्युक्तानुसार।

उपखण्ड अधिकारी नैनवॉ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना पत्र संख्या :- 86/2022 दायर दिनांकः 01.06.2022

GCMS NO:- 2022/163

पीठासीन अधिकारीः– शत्रुघ्न सिंह गुर्जर

1. सुन्दरलाल आ0 गुलाबचन्द जाति महाजन निवासी ग्राम दुगारी तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज0) (मृतक)
   1/1. जिनेन्द्र कुमार आ0 सुन्दरलाल जाति महाजन निवासी ग्राम दुगारी तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज0)
   1/2. दिनेश कुमार आ0 सुन्दरलाल जाति महाजन निवासी ग्राम दुगारी तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज0)
   1/3. विनोद कुमार आ0 सुन्दरलाल जाति महाजन निवासी ग्राम दुगारी तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज0)
   1/4. राजेश बाई पुत्री सुन्दरलाल पत्नि महावीर जाति महाजन निवासी ग्राम दुगारी हाल निवासी राजपुत कॉलोनी नैनवॉ रोड बून्दी जिला बून्दी (राज0)
   1/5. बदाम बाई पत्नि सुन्दरलाल जाति महाजन निवासी ग्राम दुगारी तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज0)

–प्रार्थीगण–

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब नैनवां तहसील नैनवां जिला बून्दी।
2. राजस्थान राज्य जर्ये जिला कलेक्टर महोदय, बून्दी (राज0)

–अप्रार्थीगण–

प्रार्थना पत्रः–अंतर्गत धारा 251(क) आर0टी0 एक्ट

उपस्थिति–
प्रार्थी की ओर से वकील श्री नरेश कुमार मीना।

निर्णय दिनांक 22.12.2023

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम दुगारी तहसील नैनवां में भूमि खसरा संख्या 4853/703 रकबा 0.9708 हैक्टयर स्थित है। यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि खातेदार कृषक है व काबिज चला आ रहा है। यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि में जाने का अर्वालीन रास्ता ग्राम दौलतपुरा से रघुनाथपुरा लिंक रोड में जाने वाले रास्ते में फटकर पश्चिमी ओर चलकर भूमि खसरा संख्या 4835/703 पर पहुंचता है। यह रास्ता सैकडों वर्षो से चला आ रहा है। इस रास्ते का प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत परिशिष्ट "अ" में लाल स्याही से बताया गया है। यह रास्ता 12 फीटा चौडा है जो सकडा पडता है। आवागमन में परेशानी होती है। इस कारण इसे 15 फीट चौडा किया जाना चाहिए। इस रास्ते के अलावा अन्य कोई दुसरा रास्ता प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि में पहुंचने का नही है। प्रार्थी को इस रास्ते पर होकर अपने खातेदारी भूमि में आवागमन करने, हल, कुली, बैलगाडी, ट्रेक्टर व अन्य कृषि यन्त्र लाने ले जाने रास्ते के रूप में उपयोग उपभोग करने का हक अधिकार व सुखाधिकार भी प्राप्त हो चुका है। परिशिष्ट "अ" को भी प्रार्थना पत्र का भाग माना जावे। यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित रास्ता नक्शा ट्रेस व अन्य भू–राजस्व अभिलेखों में नही दर्शाया गया है इस कारण आये दिन कोई न कोई वादी को परेशान करने में लग जाता है। प्रार्थी बमुश्किल रास्ता बनाये हुए है इस रास्ते को नक्शा ट्रेश व अन्य भू–राजस्व अभिलेखों में रास्ते के रूप में दर्ज किया जाना आवश्यक है। यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण है। यह कि प्रार्थी को अधिकार प्राप्त है कि वे प्रार्थना–पत्र की चरण संख्या 1 वर्णित भूमि पर पहुचने के लिए 15 फुट चौडाई का रास्ता उपरोक्त चरणों में दिये गये विवरण के अनुसार राजस्व नक्शा में व राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाये। प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थीगण ने नकल जमाबंदी एवं नकल नक्शा ट्रेस आदि प्रस्तुत किये।

रास्ता दिये जाने के सम्बन्ध में तहसीलदार नैनवां से रिपोर्ट प्राप्त की गई। जिसके मुताबिक प्रार्थी की भूमि खसरा संख्या 4835/703 में पहुंचने के लिए खसरा संख्या 805 गै0मु0 रास्ता से सिवायचक (गै0मु0 वर्डी) खसरा संख्या 5069/703 रकबा 5.5012 हैक्टयर में से रास्ता दिया जाना उचित होगा। यह कि उक्त रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है। यह कि चाहा गया रास्ता निकटतम है जिसमें निम्नानुसार भूमि काम में आयेगी।

ख0न0	खातेदार	किस्म	ल0	चौ0	कुल क्षेत्रफल
[illegible]9/703	सिवायचक	गै0मु0 बर्डा	120 फीट	15 फीट	1800 वर्गफीट अर्थात् 0.0167 हैक्ट0

हमने प्रार्थना–पत्र, शपथ–पत्र व प्रस्तुत साक्ष्य रिकॉर्ड जमाबन्दी व रास्ते के सम्बंध में तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया । प्रार्थी को प्रार्थना–पत्र में अंकित भूमि पर आने जाने हेतु रास्ते की आवश्यकता है। प्रार्थीगण ने रास्ते का प्रतिकर अदा करने हेतु भी प्रार्थना–पत्र में निवेदन किया है। बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। भूमि खसरा संख्या 4835/703 में पहुंचने के लिए सिवायचक (गै0मु0 बर्डा) खसरा संख्या 5069/703 में से 120 फिट लम्बाई एवं 15 फिट चौडाई का प्रस्तावित रास्ते जिसे परिशिष्ट–''क'' नाम दिया गया है, जो इस न्यायालय निर्णय का अंग होगा, के अनुसार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में नियमानुसार प्रतिकर राजकोष में जमा होने के उपरांत दर्ज किया जाकर मौके पर प्रार्थीगण का रास्ता बहाल करने के आदेश तहसीलदार नैनवां को दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 22.12.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवा

उपखण्ड अधिकारी
नैनवा (बून्दी)

परिशिष्ट - "क"

राजस्थान सरकार

खसरा नक्शा एंव जमाबंदी(प्रतिलिपि)

NIC-BHUNAKSHA

जिला : बूँदी

तहसील : नैनवा

दिनांक : 09/02/2023 10:18:10 AM

पटवारी हल्का : दुगारी

ग्राम : दुगारी

भू. अ. नि. क्षेत्र : बांसी

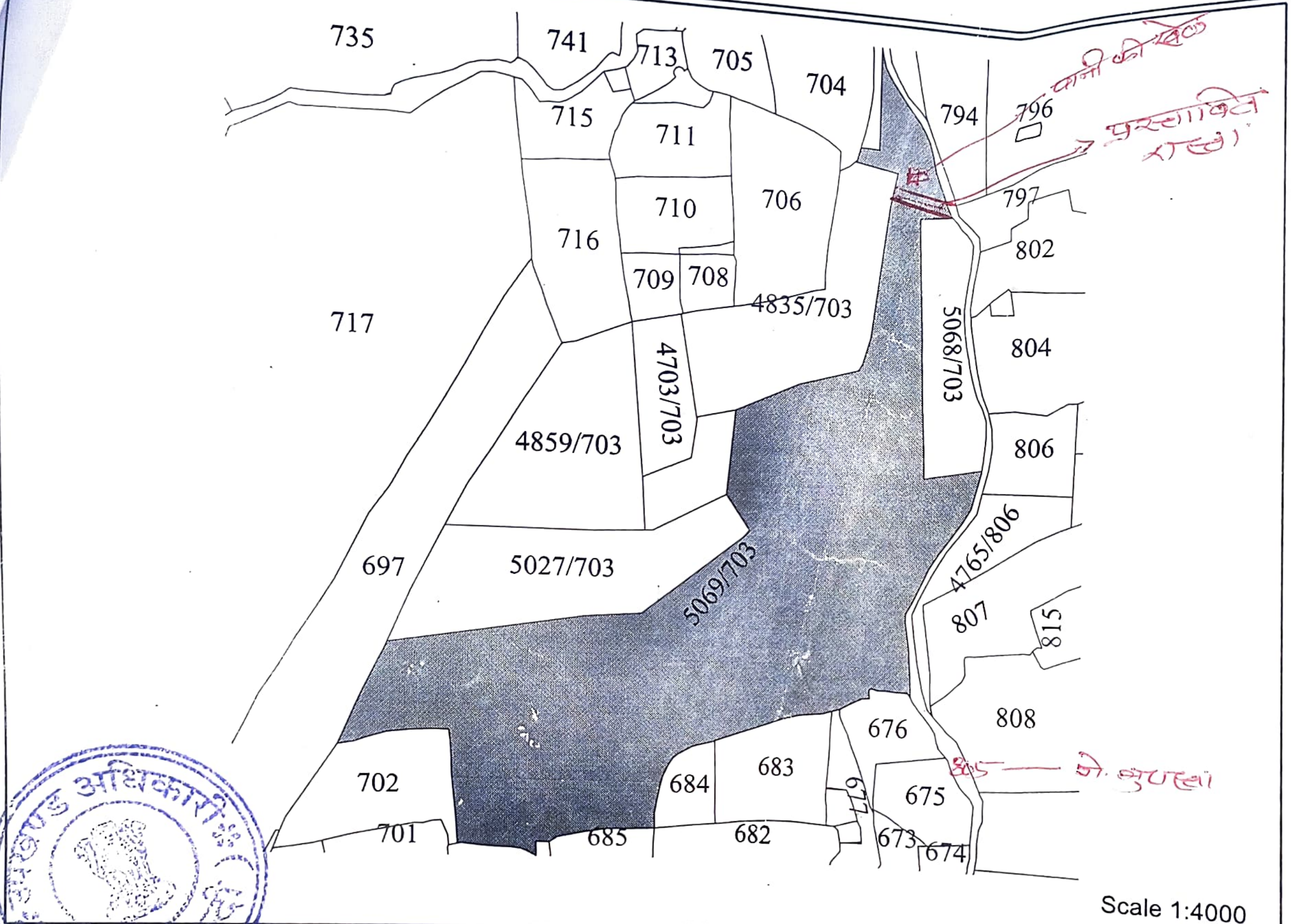

खसरा संख्या :5069/703 क्षेत्रफल : 5.5012 Hectare खाता संख्या : 1पुराना खाता संख्या :1

भूमि किस्म[क्षेत्रफल लगान]:

ULPIN no.: null

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

सवकार्य हेतु नि:शुल्क चाहे

पटवारी - दुगारी